संख्याः 17 /2021/753 /छिहत्तर-1-2021-28सम/2020

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के गठन हेतु पदों का सृजन किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2576/Directorate/2020-21 दिनांक 10 फरवरी, 2021 तथा पत्र संख्या-1594/E-46/2021 दिनांक 01-03-2021 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के गठन हेतु पदों का सृजन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन 'नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय' तथा जनपद स्तर पर एक ढांचा के गठन हेतु निम्नलिखित शर्तो /विवरण के अधीन कुल 602 अस्थाई पदो के सृजन की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

'नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय' तथा जनपद स्तरीय ढांचा हेतु पदों का सृजन

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	लेवल	अभ्युक्ति
1	निदेशक	0	लेवल-14	पूर्व से सृजित
2	अपर निदेशक	0	लेवल-13 क	पूर्व से सृजित
3	वित्त नियंत्रक	0	लेवल-13 क	पूर्व से सृजित
4	मुख्य अभियन्ता (स्तर 1)	0	लेवल-13 क	पूर्व से सृजित
5	मुख्य अभियन्ता (स्तर 2)	5	लेवल-13	प्रति जोन एक पद
6	अधीक्षण अभियन्ता	22	लेवल-12	18 मण्डल तथा 4 जोन
7	संयुक्त निदेशक (वैज्ञानिक)	1	लेवल-12	-
8	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	0	लेवल-11	वित्तीय सलाहकार का पद पूर्व से सृजित
9	अधिशासी अभियन्ता	86	लेवल-11	66 जनपद (विन्ध्य/ बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों हेतु प्रति जनपद 01 पद के सापेक्ष 9 पद पूर्व से सृजित), प्रदूषण नियंत्रण-05, वि0 या0 का0-10 तथा जोन कार्या0-05
10	उप निदेशक (वैज्ञानिक)	1	लेवल-11	-
11	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	लेवल-10	

12	सहायक अभियन्ता	124	लेवल-10	66 जनपदीय कार्यालयों हेतु 66 पद (प्रति जनपद 01 पद), (विन्ध्य / बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों हेतु 09 पद पूर्व से सृजित), वियुत/यात्रिक जोन हेतु-05 पद(प्रति जोन-01 पद), वियुत/यात्रिक कार्यालय हेतु-30 पद, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय हेतु -05पद तथा मण्डल कार्यालय हेतु 18 पद।
13	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	लेवल-9	-
14	सहायक लेखाधिकारी	5	लेवल-8	-
15	अवर अभियन्ता	228	लेवल-7	66 जनपद हेतु प्रति जनपद 03 पद (कुल-198 पद), 05 प्रदूषण नियन्त्रण जोन हेतु प्रति जोन 02 पद (कुल10 पद) एवं 10 विद्युत यात्रिकी कार्यालयों हेतु प्रति कार्यालय-02 पद (कुल-20 पद) तथा विन्ध्य/ बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों हेतु प्रति जनपद 03 पद के सापेक्ष 27 पद पूर्व से सृजित।
16	लेखाकार	19	लेवल-6	18 पद प्रति मण्डल 01 पद, मुख्यालय के वित्त एवं लेखा अनुभाग हेतु 01 पद।
17	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	03	लेवल-6	-
18	वरिष्ठ सहायक	24	लेवल-5	-
19	सहायक लेखाकार	79	लेवल-5	
20	सम्प्रेक्षक	03	लेवल-5	-
	योग	602		

1. सृजित किये जा रहे पदों पर तैनाती प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण / पद स्थापन के माध्यम से ही किया जायेगा। तैनाती की अवधि तक अधिकारियों/ कर्मचारियों का पद उनके पैतृक विभाग में रिक्त नहीं माना जायेगा।
2. इन पदों पर प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण / पद स्थापन की कार्यवाही विभाग के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से स्थापित एवं संचालित लघु सिंचाई निदेशालय तथा भूगर्भजल निदेशालय में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, बोरिंग टेक्निशियन, सहायक बोरिंग टेक्निशियन एवं अन्य समकक्षीय पदों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों से तथा अन्य विभागों से किया जायेगा, जिससे कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ-साथ उत्तरदायित्व बोध भी बना रहेगा इनका विभागीय आवश्यकतानुरूप स्किल डेवलेपमेन्ट करके कार्य लिया जायेगा।
3. पदों के पदनाम, वेतनमान एवं इनकी आवश्यकता तथा औचित्य का निर्धारण एवं पुनर्मिलान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. सृजित किये जा रहे पदों की आवश्यकता एवं औचित्य का निर्धारण किये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
5. समस्त प्रकार के पद अस्थायी प्रकृति के होंगे, जिनका सृजन दिनांक 28.02.2022 अथवा उनके समाप्त किये जाने की तिथि जो पहले होगी, तक के लिये सृजित किये जा रहे हैं।
6. आवश्यक एवं अपरिहार्य पाये जाने की स्थिति में औचित्य स्पष्ट करते हुए पदों की निरन्तरता वर्षानुवर्ष वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।
7. जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है, जिसके निर्माण कार्यो की गुणवत्ता तथा विशिष्टियों को नियंत्रित किया जाना अपरिहार्य है, जिससे योजना से दीर्घावधि तक जनसामान्य को लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्ता नियंत्रण तथा

पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से किया जाएगा, जिससे कि आवश्यकता पडने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

8. पदों पर तैनाती की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।
9. पदों पर चयन की कार्यवाही एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणबदध रूप से की जायेगी, जिससे अनावश्यक व्ययभार से बचा जा सकेगा।
10. योजना के संचालन के अन्तर्गत जो कार्य उपरोक्त सृजित पदों से नहीं कराया जा सकता है, उन कार्यों को मितव्ययिता के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता (Bare Minimum) का आंकलन एवं निर्धारण करते हुए आउट सोर्सिंग आफ सर्विसेज के आधार पर इन सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी। इन सेवाओं पर आने वाला व्यय, 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत स्वीकृत ऐसी परियोजनाएं, जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, की प्रोजेक्टवार प्रोजेक्ट कास्ट के सापेक्ष अधिकतम 02 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत जल जीवन मिशन से संबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देश / गाइड लाइन्स के अधीन होगा।
11. सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन पारदर्शी रीति से सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3 यह आदेश वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-302 /दस-2021, दिनांक 19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या 17 /2021/753(1)/छिहत्तर-1-2021-28सम/2020, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. निदेशक, भूगर्भ जल, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
13. वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।